

अग्रिम विवेचना, जमानत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बारीकी को समझना जरूरी

सिटीरिपोर्टर/दुर्ग

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में अग्रिम विवेचना, जमानत और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे गंभीर, प्रासंगिक और समसामयिक विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने दीप प्रज्वलन कर की। यह आयोजन छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में हुआ। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग फल्लवी गुप्ता ने बताया कि एक बेहतर विवेचना ही न्याय की नींव होती है। शिक्षा मेश्राम ने जमानत के



नवीनतम प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर जानकारी दी। असिस्टेंट लीगल एड डिपेंस काउंसिल सिस्टम दुर्ग सौरभ शेन्द्रे ने वर्तमान डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की महत्ता, संग्रहण और न्यायालय में उनकी ग्राह्यता पर वक्तव्य दिया।

मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने कहा कि बदलते दौर में अपराधों की प्रकृति हड़टेक हो गई है, ऐसे में अग्रिम विवेचना, जमानत और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बारीकियों को समझना अभियोजन और बचाव

पक्ष दोनों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम विवेचना, जमानत के सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इनके विधिसम्मत और संवेदनशील प्रयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अग्रिम विवेचना, जमानत और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने विवेचना को निष्पक्ष, वैज्ञानिक और विधिसम्मत ढंग से किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।